राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	734/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नानगराम / रामचन्द्र	1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.04.18 पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 223 काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश एवम् प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.09.2007 एवम् संशोधित डिक्री दिनांक 09.07.2011 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम दिनांक 06.09.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ देरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा श्री हरीश शर्मा को अधिवक्ता नियुक्त किया गया था जिस पर वे पूर्ण विश्वास करते थे, परन्तु श्री शर्मा द्वारा विश्वास को तोड़ते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2011 को प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का कोई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा वादी के हित में पैरवी की गई। उनके द्वारा प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील करने की कोई सलाह नहीं दी गई जबकि उक्त निर्णय विधि विरुद्ध था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ से निर्णय के पश्चात् पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई तो अपीलार्थीगण ने अपना नया अधिवक्ता नियुक्त किया तो उनके द्वारा पत्रावली में हो चुकी समस्त कार्यवाहियों का अवलोकन करने के बाद उनके द्वारा अपीलार्थी को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील करने की सलाह दी। उनके द्वारा विधिक सलाह मिलने के बाद बिना किसी अतिरिक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	794/2016 नानगराम / रामस्वरूप हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.18 लगातार	विलम्ब से अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलार्थीगण सही सलाह न मिल पाने के कारण और उनके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उन्हें विश्वास दिलाने पर भी उनके हितों की सलाह न देने के कारण अपील समय में प्रस्तुत नहीं हो सकी है। उक्त कारण देरी की माफी करने हेतु संतोषजनक व माकूल हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि दावा दायरी के समय सभी खातेदारों के अलग-2 खाते कायम हो चुके थे, जिससे प्रारम्भिक डिक्री विधिक नहीं है। अधिवक्ता की गलती की सजा मुवक्किल को नहीं दी जा सकती है तथा विधि विरुद्ध पारित किये गये निर्णय की अपील को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 1981 J&K 95, AIR 1987 पृष्ठ 1353 S.C., AIR 2002 SC 1201, 2010 (2) DNJ 658 तथा 2011 (1) DNJ SC 183 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने की इस्तदुआ की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी / प्रत्यर्थी सं० 01 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता द्वारा अपनी जवाब बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2007 एवम् संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.07.2011 गुणावगुण पर पारित की गई है जिसकी अपील में कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.04.2005 व 15.06.2005 को अपीलार्थीगण द्वारा पैरवी हेतु श्री श्यामलाल शर्मा को अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। (initials)	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नानगराम / रामचन्द्र

तारीख हुक्म	294/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.04.18 लगातार

तत्पश्चात् जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 10.09.2007 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री पारित होने से पूर्व श्री श्यामलाल शर्मा अधिवक्ता थे न कि श्री हरीश शर्मा थे। इसलिए यह कथन गलत है कि श्री हरीश शर्मा ने वादी के हितों के विरुद्ध पैरवी की है। अपीलार्थीगण स्वयं वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमत थे तथा कुर्रेजात रिपोर्ट आने के पश्चात् स्वयं द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलांट को प्रारम्भ से ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी रही है तथा अपील असाधारण विलम्ब लगभग 5 वर्ष 6 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी जिस पर निर्णय दिनांक 04.02.2016 को पारित कर दिये जाने के पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय की अपीलांटस् को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में मिथ्या कथन अंकित किये गये हैं जो कतई पर्याप्त एवम् संतोषजनक नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम् उसपर दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 हैं। दिनांक 26.04.05 को प्रतिवादी संख्या 07 व 09 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल शर्मा उपस्थित हुए हैं जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके पश्चात् दिनांक 30.12.2006 को प्रतिवादी सं० 6 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा दिनांक 21.04.07 को अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध भी एकतरफा कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	794/2016 — नानगाराम / रामचन्द्र — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.18 लगातार	की गई है। तत्पश्चात् दिनांक 10.09.2007 को अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 09.09.2011 को प्रतिवादी सं. 06 लगायत 09 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व नियम 18,19,20 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी सहखातेदारों का अलग-2 तकासमा किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके पश्चात् दिनांक 30.11.11 को कुर्रेजात अराजी पर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया था जिसको खारिज कर दिये जाने पर न्यायालय राज. में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय राज. द्वारा दिनांक 05.05.2015 को खारिज कर दिया गया है। प्रस्तुत अपील दिनांक 06.09.2016 को प्रस्तुत की गई है। उपर्युक्त तथ्यों पर दृष्टिपात करने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से रही है तथा जानबूझकर एवम् तथ्यों को छिपाते हुए विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारण पूर्णतया असत्य एवम् अपर्याप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा परिणामस्वरूप अपील भी मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 02.04.2018 को सुनाया गया।	